

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

प्रस्ताव सं० FP/UP/ROAD/34160/2018

विषय:—जनपद सोनभद्र में पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल०डब्लू०ई०) के अन्तर्गत "आर०पी०के० किमी० 45 से चरगड़ा, माची, देवहर, दरेब, मड़पा सम्पर्क मार्ग" कि.मी. 00.000 से 22.000 तक के निर्माण हेतु कुल 15.255 हेक्टे० वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव।

17. टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।

(राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाए।)

.....की संस्तुति
के आधार पर स्वीकृतार्थ
संस्तुति की जाती है।



24/7/2018

24/7/2018

पंकज मिश्र
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
वन (संरक्षण) अधिनियम-1980
उ० प्र०, लखनऊ।